न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 195/2022

कैलाश दान बारेठ पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, आयु 35 वर्ष, जाति– चारण, निवासी मझेला रोड, आर. के. होम्योपेथिक होस्पीटल के सामने, मदनगंज–किशनगढ़, जिला– अजमेर (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ
2. उमाकवंर पत्नि श्री ज्ञानेश्वर सिंह
3. करणीदान पुत्र श्री ज्ञानेश्वर सिंह
4. चावन्डदान पुत्र श्री ज्ञानेश्वर सिंह
5. नरेन्द्र बारेठ पुत्र श्री रामेश्वर सिंह
6. रामेश्वर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह
7. लक्ष्मीकवंर पुत्री श्री ज्ञानेश्वर सिंह

सर्वजाति– चारण, निवासीगण मझेला रोड, आर. के. होम्योपेथिक होस्पीटल के सामने, मदनगंज–किशनगढ, जिला– अजमेर (राज०)

8. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबंधक सलेमाबाद

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 26.08.2025

उपस्थितः: वकील प्रार्थी श्री कुश कुमार
वकील अप्रार्थी श्री पैरोकार सरकार

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री कुश कुमार राठौड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की सह–खातेदारी का खेत जो कि राजस्व ग्राम–डींडवाडा, पटवार हल्का क्षेत्र– डींडवाडा, भू० अभि० नि० क्षेत्र–बांदरसिंदरी, तहसील– किशनगढ, जिला– अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार खसरा संख्या 839 है जिसका रकबा 5.3475 हैक्टेयर है। जिसमें प्रार्थी का 1/12 हिस्सा निहित है। प्रार्थी की सह–खातेदारी की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के खेत पर आने जाने के लिए वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता विद्यमान नही है जिसके कारण से प्रार्थी को अपनी जोत पर पहुंचनें व कृषि कार्य करने में असुविधा का सामना करना पड रहा है एवं अपनी जोत की सार सम्भाल करने में काफी समस्याओ का सामना करना पडता है तथा भूमि को जोतने आदि के लिए टेक्टर, थैसर आदि को लाने ले जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी व उसके सह–खातेदार पूर्व में पडोस की आराजी जिसके खसरा नम्बर– 1950/849 व 849 है के अन्दर से पगडंडीनुमा रास्ते के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

माध्यम से आवाजाही करते थे। प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम एवं एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 1950/849 व 849 में से होकर मुख्य मार्ग जो कि डीडवाडा से बीती की ओर जाता है जो कि लगभग 60 फीट से अधिक चौडा है इस मार्ग के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी व उसके सह खातेदारो को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए जो सबसे निकटतम एवं एकमात्र रास्ता है वहाँ तक पहुंचने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की आराजी से होकर गुजरना पडता है जिसके खसरा नम्बर 1950/849 व 849 है इसमें से होकर ही प्रार्थी व उसके सह खातेदार अपनी जोत तक पहुंच सकते है। प्रार्थी की जोत के निकटतम रास्ता जो कि खसरा संख्या 1950/849 व 849 में से होकर ही जाया जा सकता है जिसके लिए प्रस्तावित रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शा में डोटेड लाईन से A से B के मध्य दर्शाया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी को रास्ता प्रदान करने की माननीय न्यायालय से प्रार्थना है। प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने एवं कृषि साधनो को अपनी जोत तक पहुचाने के लिए 30 फीट चौडा रास्ते की अत्यनत आवश्यकता है इसलिए मौका कमीशनर नियुक्त कर मौके कि रिपोर्ट मंगवाई जाकर एवं नियमानुसार अप्रार्थी को कम्पनसेट किया जाकर खसरा संख्या 1950/849 व 849 में से नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजी सह खातेदारी की आराजी होने व केवलमात्र प्रार्थी के द्वारा ही आवेदन किये जाने के कारण अप्रार्थी सख्या 2 लगायत 7 को बतौर अप्रार्थी प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी को अपने सह–खातेदारी के खेत का सुविधापूर्वक उपयोग व उपभोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है परन्तु रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को अपने कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है जिसका निवारण किया जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या– 839 के लिए नया रास्ता 30 फीट चौडा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 1950/849 व 849 मे से दिलवाये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करे एवं प्रार्थी के हक में जो उचित हो आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2022 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 से 7 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से दिनांक 24.11.2022 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 28.04.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मोका रिपोर्ट पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम डींडवाडा स्थित खसरा संख्या 839 रकबा 5.3475 हैक्टेयर में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये एकमात्र रास्ता खसरा संख्या 849 व 1950/849 में से रकबा 0.2108 हैक्टेयर से दिया जा सकता है, जिसमें से 30 फीट चौडाई का रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.2108 हैक्टेयर अधिग्रहित की जायेगी, जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर 1163200/– प्रति हैक्टैयर के अनुसार 04,90,405 अक्षरे चार लाख नब्बे हजार चार सौ पांच रूपये होगी।

3. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये एकमात्र रास्ता खसरा संख्या 849 व 1950/849 में से रकबा 0.2108 हैक्टेयर से दिया जा सकता है, जिसमें से 30 फीट चौडाई का रास्ता दिया जा सकता है । खसरा संख्या 849 व 1950/849 में से रकबा 0.2108 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 04 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा । अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 849 व 1950/849 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.2108 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार ख0नं0 849 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.1946 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1950/849 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.2108 हैक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि 04,90,405 अक्षरे चार लाख नब्बे हजार चार सौ पांच रूपये मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा राजकीय कोष, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.2108 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 04,90,405 अक्षरे चार लाख नब्बे हजार चार सौ पांच रूपये मात्र तहसीलदार किशनगढ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2025/2596 दिनांक 28.04.2025 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा के अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.2108 हैक्टैयर (30 फीट चौडाई) भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी

किशनगढ